ISSN No:2581-4230
VOLUME 5, ISSUE 4, Apr. -2019

शोधार्थी,

Rahul

Research Scholar

निर्देशक

Dr. Narender Kumar

भूगोल विभाग

ओ.पी.जे.एस. विश्वविद्यालय,

चुरू, राजस्थान

सीकर जिले में कृषि विकास के लिए आधारभूत सुविधायें

Abstract

सीकर जिलें में कृषि के लगातार बदलतें स्वरूप से इस क्षेत्र में कृषि का भविष्य उज्जवल है। आवश्यक भौगोलिक दशाओं के पूर्णता अनुकुल ना होने के बावजुद भी यहां के किसान ने कृषि का स्वरूप बदलता है एवं उसमें लगातार परिवर्तन करने के लिए तत्पर है।राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि का प्रमुख योगदान है। उसी प्रकार सीकर जिले में भी मुख्यतः जीवन–यापन का मुख्य स्त्रोत कृषि है। वर्तमान समय में भी सीकर जिले की समस्त तहसीलों में 50 प्रतिशत से भी अधिक व्यक्तियों का मुख्य व्यवसाय कृषि या उससे सम्बन्धित व्यवसाय है। सीकर जिले में कृषि की स्थिति काफी कमजोर है। क्योंकि यहां समस्त खेती मानसूनी वर्षा पर आधारित है तथा मानसून की अनिश्चितता एवं कम अवधि के कारण कृषि कार्य सही रूप से नहीं हो पाता है।वर्तमान समय में कृषि के विकास के लिए कई उल्लेखनीय प्रयास किए गए है लेकिन अधिकांश भागों में यह अभी भी मानसून पर ही निर्भर है। कृषि एवं

सम्बन्ध क्षेत्रों की प्रगति काफी हद तक मानसून के समय आगमन पर निर्भर करती है।

कृषि विकास के लिए आधारभूत सुविधायें:

भूमि को जोतने, फसल को उगाने और काटने, पशुओं को पालने और पशुधन को बढ़ाने के विज्ञान अथवा कला को कृषि के नाम से जाना जाता है। विस्तृत आधुनिक अर्थों में, 'कृषि' में मानव के लिये लाभदायक पौधों को उगाना और पशुओं को पालना आता है, अपितु इनके विपणन से सम्बन्धित कई प्रक्रियाएं भी इसमें सम्मिलित की जाती है। कृषि एसी जीवन पद्धति और परम्परा है जिसने क्षेत्र में विशेष के लोगो के विचार दृष्टिकोण, संस्कृति और आर्थिक जिवन को प्रभावित किया है। अतः कृषि किसी भी क्षेत्र की नियोजित सामाजिक–आर्थिक विकास की सभी कार्य नीतियों का मूल है तथा इसका केन्द्र हमेंशा बनी रहेगी।

सीकर जिलें में कृषि के लगातार बदलतें स्वरूप से इस क्षेत्र में कृषि का भविष्य उज्जवल है। आवश्यक भौगोलिक दशाओं के पूर्णता अनुकुल ना होने के बावजुद भी यहां के किसान ने कृषि का स्वरूप बदलता है एवं उसमें लगातार परिवर्तन करने के लिए तत्पर है। सीकर जिल में लगातार कृषि विकास का स्तर बढ़ता जा रहा है। जिससे वहां के किसानों की आय में लगातार वृद्धि हो रही है। एवं जिवन स्तर में लगातार बदलाव हो रहा है। सीकर जिले में विगत कुछ वर्षों से कृषि के लिए आवश्यक विभिन्न आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विकास हुआ है जिससे किसानों को बड़ी मात्रा में सुविधा प्राप्त हुई है। आज यहाँ के किसान इन सुविधाओं का भरपूर लाभ ले रहे है। जिससे यहाँ का कृषि विकास लगातार लई उंचाइयाँ छू रहा है। सीकर जिले में विभिन्न सरकारी एवं निजी संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न कृषि सुविधाओं का विकास किया लगातार किया जा रहा है। जिससे यहाँ की कृषि का तेज गति से विकास हो रहा है। सीकर जिले की समस्त तहसीलों में कृषि उपज मण्डी की स्थापना की गई है जिससे यहाँ किसानों को किसी अन्य स्थान मर फसलों का विक्रय करने के लिए ना जाना पड़े विभिन्न सहकारी संस्थाओं की स्थापना भूमि विकास अन्य विभिन्न बेंको द्वारा समय–समय पर किसानों को विभिन्न प्रकार का

ऋण प्रदान किये जाते है। कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों की सहायता के लिए 12 जुलाई 1982 को कृषि एवं ग्रामिण विकास का राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की गई। यह बैंक कृषि में वृद्धि, लघु व कुटीर उद्योग, पशुपालन गृह एवं ग्रामोद्योगों, गामीण कलाओं तथा गाँव में चलने वाली अन्य सम्बधित आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की व्यवस्था करने हेतु एक सर्वोच संस्था है। इस बैंक की स्थापना के बाद से कृषि एंव ग्रामीण विकास से सम्बन्धित समस्त कार्य एवं रिर्जव बैंक के कृषि साख के मुख्य कार्य इस बैंक के अधिन हो गये। यह बैंक कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए मुनर्वित सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करता है। भारत एवं कृषि प्रधान देश है। जहाँ अधिकाश जनसंख्या (लगभबग 70 प्रतिशत) गाँव में रहती है। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है और अधिकांश लोग गरीब है। लकिन कृषक को अन्नदाता कहा जाता है एवं इनकी प्रगती विकास एवं उत्थान के लिए नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई। कृषि एवं ग्रामीण विकास की विभिन्न आवश्यकाताओं को पूरा करना इस बैंक का मूल उदेश्य है जिससे कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सके।

कृषि साख सुविधा :

कृषि साख सुविधा से तात्पर्य कृषि व कृषि से सम्बन्धित उद्योगों को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना है। इसके लिए सीकर जिले में विभिन्न सस्थाएं कार्यरत है जो सीकर जिलें में कृषि विकास को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्तमान में सरकार भी कृषि साख सुविधा को बढ़वा देने के लिए प्रयासरत है। इसी प्रकार सीकर जिले में कृषि एवं सम्बन्धित उद्योगों के लिए दिया जाने वाला ऋण लगातार बढ़ता जा रहा है। सीकर जिलें की लगभग समस्त तहसीलों में इसकी व्यवस्था की गई है जिससे कृषि का पूर्ण विकास कर किसानों का जीवन स्तर उँचा उठाया जा सके। इन प्रयासों के कारण ही वर्ततान में सीकर जिले के किसान लगातार उन्नत तकनीकों विभिन्न उन्नत रासायनिक उर्वरकों उन्नत कृषि बीजों उन्नत कृषि यंत्रों का उपयोग कर कम क्षेत्र में भी अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर रहे है। जिससे

कृषकों का आर्थिक लाभ लगातार बढ़ता जा रहा है। एवं उनका जीवन स्तर भी उँचा उठ रहा है।

कृषि साख सहकारी समितियाँः

सीकर जिलें में कृषि साख सहाकरी समितियों की संख्या 171 है सीकर जिले में कृषि साख सहाकारी समितियों में सदस्य संख्या 2008–09 में 264968 थी वही 2012–13 में सदस्य संख्या 331623 थी। इसी प्रकार सीकर जिले में 2008–09 में अंश पूंजि 145358 थी वही 2012–13 में बढ़कर 199635 हो गई। अतः अंश पूजि में लगातार वृद्धि हुई। इसी प्रकार सीकर जिले में 2008–09 में कृषि साख सकारी समितियों की कार्यशील पूंजी 849345 थी वहीं 2012–13 में बढ़कर 1111135 हो गई अतः कार्यशील पूंजी भी लगातार बढ़ती गई। इसी प्रकार सीकर जिले में 2008–09 में ऋण वितरण 431765 भी वही 2012–13 में यह बढकर 1120721 हो गया। अतः स्पष्ट है सीकर जिले में लगातार ऋण वितरण को बढ़या गया है। इसी प्रकार सीकर जिले में 2008–09 में ऋण वसूली 414321 थी वहीं 2012–13 में यह बढ़कर 2048523 हो गई। अतः स्पष्ट है कि कृषि हेतु दिये गये ऋण वसूली में भी लगातार वृद्धि हुई है। इसी प्रकार सीकर जिले में 2008–09 में 712134 ऋण शेष रहा था जो वर्ष 2012–13 में घटकर 301451 रह गया। अतः स्पष्ट है कि कृषि के लिए साख सुविधाओं में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। जिससे कृषि विकास का स्तर बढ़ता गया है।

सहकारी समितियां :

सीकर जिले में कृषि एवं अन्य कार्यो हेतु सहका समितियां बनायी गई है। जो कृषि पर एवं कार्यो हेतु ऋण वितरण करती है जिससे कृषि कार्य मे सहायता की जा सके एवं कृषि का विकास तेज गती से किया जा सके। सीकर जिलें में सर्वाधिक सहकारी समितियां/संस्था दातारामगढ़ तहसील में 154 है। वहीं न्यूनतम सहकारी समितियां/संस्था रामगढ़ तहसील में 39 है। इसी प्रकार सर्वाधिक सहकारी समिति सदस्य दातारामगढ़ तहसील में 55930 है वहीं न्यूनतम सहकारी समिति सदस्य सीकर तहसील में 1230 है इसी प्रकार सर्वाधिक सहकारी समिति अंश पूजि दातारामगढ़ में

543.67 है वहीं न्यूनतम सहकारी समिति अंश पूजि सीकर तहसील में 1.23 लाख रू है। इसी प्रकार सीकर जिलें में सर्वाधिक सहाकरी समिति कार्यशील पूजि दातारामगढ़ तहसील में 1714.30 लाख रू है वहीं न्यूनतम सहकारी समिति कार्यशील पूजि 7.68 लाख रू है। इसी प्रकार सीकर जिले में सर्वाधिक सहारी समितियों द्वारा ऋण वितरण नीमकाथाना में 1019.63 लाख रू है वहीं न्यूनतम सहाकरी समितियों क्ष्रा ऋण वितरण रामगढ़ तहसील में 122.39 लाख रू किया गया। इसी प्रकार जिलें में सर्वाधिक सहकारी समितियों द्वारा ऋण वसूली धोद तहसील में 908.35 लाख रू किया गया। वहीं न्यूनतम सहकारी समितियों द्वारा ऋण वसूली सीकर तहसील में 15.18 लाख रू किया गया। इसी प्रकार सीकर जिले में सर्वाधिक सहकारी समितियों का ऋण शेष नीमकाथाना तहसील में 265.51 लाख रू तक वहीं न्यूनतम सहकारी समितियों का ऋण शेष धोद तहसील में 29.85 लाख रू है।

कृषि विकास में आधुनिक यंत्रों का योगदान :

खेती का काम केवल भूमि में बीज बोने तक ही सीमित नहीं होता इसके साथ–साथ दूसरे काम भी होते है। जैसे निडाई, गुड़ाई, जुताई, सिचांई, थ्रैसिंग, कटाई आदि। वर्तमान समय में ये सारे काम मशीनों की सहायता से होने लगे है। इसके अतिरित्त जब नई तकनीकी अपनाई जाती है जिसमें मशीनों और कृषि यंत्रों का उपयोग किया जाता है वहां कृषि स्तर कुछ ऊंचा उठा है, जहां किसान अशिक्षित है या कृषि का पिछड़ापन है वहां एक खास वजह कृषि में मशीनरी का इस्तेमाल/प्रयोग न करना व उनकी जानकारी न रखना है, आज के आधुनिक युग में हर व्यवसाय में परिर्वतन देखने को मिल रहे है लेकिन कृषि में यह परिर्वतन काफी कम दिखाइ पड़ता है। इसका मुख्य कारण किसानों की एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बारे में जानकारी न रखना है, जिससे उनको कृषि मशीनरी की जानकारी नहीं मिल पाती ऐसा होने से अपनी फसलों की समय पर बुआई, कटाई व अन्य जरूरी काम नहीं कर पाते है जिसके चलते पैदावार में कमी आती है।

कृषि विकास में आधुनिक तकनीकी :

वर्तमान में सीकर जिले में कृषि विकास हेतु विभिन्न नई व आधुनिक तकनीकी का प्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्षेत्र तहसीलों में आज भी परम्परागत व पुराने यंत्रों का प्रयोग कृषि में देखा जा सकता है। लेकिन विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी प्रयासों के माध्यम से नई तकनीकी को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसमें लगातार उत्पादन में वृद्धि हो रही है एवं किसानों का स्तर ऊपर उठ रहा है। कृषि क्षेत्रों में ट्रेक्टरों की संख्या बढ़ने स`अब किसान हल चलाना कम पसन्द करने लगे है जिससे हलों की संख्या में कमी आई है। आर्थिक स्थिति से सम्पन्न होने के कारण जिले की समस्त तहसीलों में ट्रैक्टरों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है क्योंकि कृषकों का रूझान कृषि के आधुनिक यत्रों का प्रयोग में लाकर अधिक उत्पादन करने से होता है जो सिर्फ कृषि में नवीन तकनीकों से ही सम्भव है। वर्तमान समय में क्षेत्र के किसान काफी हद तक नई तकनीकी का प्रयोग करते दिखाई देते है। किसान पुरानी कृषि व प्रविधि को छोड़कर नवीन तकनीक को अपनाने लगे है। सीकर जिले में अधिकाशतः वर्तमान में हलों की अपेक्षा ट्रैक्टरों से अधिक बुआई की जाने लगी है। सीकर जिले के सम्पन्न किसान विभिन्न नवीन मशीनों का उपयोग करने पर लगे है। आधुनिक व नवीन तकनीकी का प्रयोग सीकर जिले में कृषि में आधुनिकता का प्रतीक है। कृषकों का ध्यान कृषि में आधुनिक तकनीकी का प्रयोग कर अधिक उत्पादन लेने पर रहता है। इसी प्रकार किसान सिंचाई में भी नई तकनीकी अपनाता जा रहा है जिससे वर्षा पर निर्भरता कम होती जा रही है एवं उत्पादन में भी लगातार वृद्धि होती जा रही है। कृषि की विभिन्न आधुनिक तकनीकी में निम्न प्रमुख है–

1. फव्वारा पद्धिति : सीकर जिले में टयूब्बैलों के द्वारा सिंचाई को बढ़ाने के लिए फव्वारा पद्धिति का विकास किया गया है। यह पद्धति वर्तमान में काफी उपयोगी बन गई है। जिसके माध्यम से फसलों को सीमित मात्रा में पानी देकर उत्पादन को बढ़ाया जा सके। वर्तमान में सरकार के द्वारा भी विभिन्न प्रकार के अनुदान किसानों को दिया जा रहा है जिससे कृषि में इस पद्धति को बढ़ाया जा सके। सीकर जिले की समस्त तहसीलों में सिंचाई में फव्वारा

पद्धति का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है जिससे कृषि का लगातार विकास हो रहा है।

2. ड्रिप सिंचाई (बुंद–बुंद सिचाई) : वर्तमान समय में सिचाई में ड्रिप सिंचाई का काफी प्रयोग देखा जा रहा है। सीकर जिले की समस्त तहसीलों में ड्रिप सिंचाई का प्रयोग भी किया जा रहा है। इस पद्धति के माध्यम से विभिन्न फसलों की जड़ों में बुंद–बुंद पानी देकर सिंचाई की जाती है जिससे पानी की बर्बादी को भी कम किया जा सकता है।
3. कुंड निर्माण : सीकर जिले में कुंड निर्माण पद्धति भी काफी सक्रिय है। इस तकनीकी में कृषि क्षेत्र में कुंड का निर्माण किया जाता है जिसमें वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है एवं वर्षा ऋतु के पश्चात कृषि में सिंचाई के लिए उस जल का उपयोग किया जाता है। जल संग्रहण की यह काफी पुरानी विधि है जो वतमान में भी काफी लाभदायक है। राज्य में सीकर जिले एवं समस्त शेखावाटी क्षेत्र में इस विधि का काफी उपयोग किया जाता है। कृषि उत्पादन वृद्धि :

कृषि उत्पादन वृद्धि से तात्पर्य कृषि में अधिक पैदावार से है। वर्तमान समय में सीकर जिले में नवीन तकनीकी व आधुनिक यंत्रों को सहायता से विभिन्न फसलों का उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। सीकर जिले की समस्त तहसीलों में लगातार नवीन कृषि पद्धतियों का विकास एवं प्रयोग किया जा रहा है जिससे कृषिगत फसलो का उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है।

कृषि गहनता :

कृषि गहनता से तात्पर्य कुल कृषि भूमि का अधिकाधिक उपयोग करने से है। सीकर जिले में किसानों के पास ज्यादा भूमि नहीं है। इसी कारण कम भूमि पर अधिक से अधिक फसलों का उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में कृषि में नई तकनीकी के विकास, उन्नत बीजों का प्रयोग, उन्नत जैविक व रासायनिक खाद एवं विभिन्न कीट नाशकों के कारण कम भूमि में भी ज्यादा से ज्यादा पैदावार ली जाती है। वर्तमान कृषि प्रणाली में एक ही समय में एक से अधिक फसलों का उत्पादन किया जाता है

एवं विभिन्न उन्नत तकनीकी विकास से उत्पादन में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है।

कृषि पद्धती में बदलाव :

कृषि पद्धति में बदलाव से तात्पर्य विभिन्न पूरानी पद्धतियों या व्यवस्थाओं को छोड़ नई वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने से है। जिससे कृषि के विकास के स्तर को नये आयाम प्रदान किये जा सके। सीकर जिले में वर्तमान समय में विभिन्न नई पद्धतियों से कृषि कार्य करते किसानों को देखा जा सकता है। सीकर जिले में कृषि क्षेत्रों में अपनाई जाने वाली कुछ पद्धतियां निम्न है –

1. सघन कृषि :– सघन कृषि से तात्पर्य अपेक्षाकृत छोटे खेतों में अधिक पूंजी व श्रम द्वारा अधिक उत्पादन प्राप्त करने व वर्ष में एक ही खेत से अनेक फसलें प्राप्त करने से है। सीकर जिले में किसानों के पास छोटे–छोटे खेत देखने को मिलते है एवं परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक हेने के कारण खेतों का आकार लगातार घटता जा रहा है जिसके कारण अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए सघन कृषि पद्धति को अपनाया जाता है।
2. व्यापारिक कृषि पद्धति :– सीकर जिले में वर्तमान में व्यापारिक कृषि पद्धति का प्रचलन लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में यहां खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा व्यापारिक फसलों का प्रचलन बढ़ रहा है क्योंकि व्यापारिक फसलों से आर्थिक लाभ अधिक मिल जाता है।
3. बागाती कृषि :– बागाती कृषि से तात्पर्य छोटे–छोटे कृषि उत्पादन किया जाता है। सीकर जिले की लगभग समस्त तहसीलों में बागाती कृषि का प्रचलन धीरे–धीरे बढ़ रहा है जिससे किसानों को अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा है एवं उससे उनका जीवन स्तर भी ऊँचा उठ रहा है।

कृषि पद्धति में बदलाव व उत्पादन वृद्धि :

सीकर जिले में वर्तमान में विभिन्न नवीन कृषि पद्धतियों एवं नवीन तकनीकों के माध्यम से विभिन्न कृषि उपजों के उत्पादन में लगातार वृद्धि दिखाई दे रही है

जिससे किसानों का जीवन स्तर ऊँचा उठ रहा है एवं कृषि के विकास को नये अयाम मिल रहे है।

सीकर जिले में विभिन्न खाद्य फसलों में उत्पादन वृद्धिः

सीकर जिले में तालिका संख्या 28 को देखने से ज्ञात होता है कि उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। सीकर जिले में वर्ष 2012–13 में गेहूँ 160927 मै. टन उत्पादन किया गया वहीं 2017–18 में उत्पादन उढ़कर 299668 मै. टन दर्ज किय गया। सीकर जिले में वर्ष 2012–13 में जौ 43735 मै. टन उत्पादन हुआ वहीं ये उत्पादन बढ़कर 2017–18 में 131638 मै. टन हो गया। सीकर जिले में वर्ष 2012–13 में चने का उत्पादन 20041 मै. टन दर्ज किया गया वहीं ये उत्पादन 2017–18 में उढ़कर 98467 मै. टन दर्ज किया गया। सीकर जिले में वर्ष 2012–13 में बाजरा का उत्पादन 156162 मै. टन दर्ज किया गया वहीं ये उत्पादन 2017–18 में बढ़कर 323595 मै. टन हो गया। सीकर जिले में समस्त उत्पादन वृद्धि का मुख्य कारण नवीन कृषि पद्धतियों एवं नवीन कृषि तकनीकी का विकास एवं उपयोग है। जिससे कृषिगत उत्पादन लगातार बढ़ रहा है।

सीकर जिले में प्रमुख फसलों के औसत उत्पादन में भी सामान्यतः प्रति वर्ष वृद्धि दर्ज की गई। प्रमुख फसलों के औसत उत्पादन को देखा जाए तो वर्ष 2012–13 में बाजरे का उत्पादन 530 किग्रा प्रति हैक्टयर था वहीं ये उत्पादन वर्ष 2017–18 में बढ़कर 865 किग्रा प्रति हैक्टेयर हो गया। वर्ष 2017–18 में बाजरे की फसल में 335 किग्रा प्रति हैक्टेयर उत्पादित किया गया। वहीं ये उत्पादन वर्ष 2017–18 में ज्वार की फसल में 257 किग्रा प्रति हैक्टेयर बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसी प्रकार वर्ष 2012–13 में गेहूँ का उत्पादन 1888 किग्रा प्रति हैक्टेयर था। वहीं उत्पादन वर्ष 2017–18 में बढ़कर 2665 किग्रा प्रति हैक्टेयर हो गया। वर्ष 2017–18 में गेहूँ की फसल में 777 किग्रा प्रति हैक्टेयर वृद्धि दर्ज की गई। इसी प्रकार वर्ष 2012–13 में जौ का उत्पादन 1650 किग्रा प्रति हक्टेयर था यहीं उत्पादन वर्ष 2017–18 में बढ़कर 1796 किग्रा प्रति हैक्टेयर हो गया। वर्ष 2017–18 में जौ के उत्पादन में 146 किग्रा प्रति हैक्टेयर वृद्धि दर्ज की गई। इसी प्रकार वर्ष 2012–13 में चने का

उत्पादन 503 किग्रा प्रति हैक्टेयर था यहीं उत्पादन वर्ष 2017–18 में बढ़कर 595 किग्रा प्रति हैक्टेयर हो गया। वर्ष 2017–18 में चने के उत्पादन में 92 किग्रा प्रति हैक्टेयर वृद्धि दर्ज की गई। इसी प्रकार वर्ष 2012–18 में तिल का उत्पादन 304 किग्रा प्रति हैक्टेयर था यहीं उत्पादन वर्ष 2017–18 में बढ़कर 325 किग्रा प्रति हैक्टेयर हो गया। वर्ष 2017–18 में तिल के उत्पादन में 21 किग्रा प्रति हैक्टेयर वृद्धि दर्ज की गई। तिल के उत्पादन में वर्ष 2013–14 व 2014–2015 में 2012–13 की अपेक्षा कुछ गिरावट देखने को मिली। इसी प्रकार वर्ष 2012–13 में कपास का उत्पादन 05 किग्रा प्रति हक्टेयर था। यही उत्पादन वर्ष 2017–18 में बढ़कर 14.5 किग्रा प्रति हैक्टेयर हो गया। वर्ष 2017–18 में कपास के उत्पादन में 9.5 किग्रा प्रति हैक्टेयर की वृद्धि दर्ज की गई। सीकर जिले में कपास के उत्पादन में लगातार उतार–चढ़ाव देखने को मिलता है।

सीकर जिले में वर्तमान में कृषि भूमि में लगातार कमी आ रही है। इस कमी का विशेष कारण जनसंख्या वद्धि है। लेकिन वर्तमान समय में सीकर जिले में कृषि भूमि में कमी के बावजूद उत्पादन में वृद्धि देखी जा रही है क्योंकि वर्तमान यांत्रिक युग में कृषि में उन्नत नकनीकी विकास के कारण एवं नवीन कृषि पद्धतियों को अपनाकर कृषिगत उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। सीकर जिले में सिंचाई साधनों के विकास से कृषकों की मानसून पर निर्भरता लगातार कम हो रही है।

References:

1. सिंह जे (1976) : एन. एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा''
2. शुक्ला एल. (1976) : ''चितौड़गढ़ में कृषि भूमि उपयोग''
3. सायमन्स एल (1968) : ''एग्रीकल्चरण ज्योग्राफी''
4. सायमन्स एल (1980) : कृषि भूगोल, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल
5. सावर सी.ओ (1952) : एग्रीकल्चरल ओरिजिन्स एण्ड डिसपर्शियल्स

6. सिंह जे (1974) : एन एग्रीकल्चरल एटलस ऑफ इंडिया
7. सिंह जे (1976) : एन. एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा''
8. सिंह बी.एन (1984) : एग्रीकल्चरल लैण्ड यूज इन तहसील देवरीया ऑफ उत्तर प्रदेश
9. सिंह श्रीनाथ (1984) : ''मॉडर्नईजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ए केस स्टडी ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश''
10. टण्डन बी.सी(1991) : ''रिसर्च मैथडोलॉजी इन सोशियल साइन्सेज''